प्रेस नोट
दिनांकः 14.10.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसकी लगभग 14 वर्षीय ननद को अभियुक्त राजमन अपने साथ लेकर चला गया है। वादिनी के अनुसार अभियुक्त पूर्व से विवाहित है। परिजनों द्वारा अभियुक्त के घर पहुंचकर जानकारी करने का प्रयास किया गया, जहां घर पर ताला लगा मिला। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बनघुसरा-तरबगंज रोड पर किसी साधन से कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर संदिग्ध व्यक्ति को घेरकर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजमन पुत्र राजितराम बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को 0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

-01राजमन पुत्र रजितराम निवासी: ग्राम जौकाही बनघुसरा (नहरीया गांव, पोस्ट भगहर बुलन्द), थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोगः-

01- मु0अ0सं0 595/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)m बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) एवं 3/4(2), 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01- उ०नि० विनय कुमार सिंह
02- कां० राधेश्याम
03- कां० मो० इस्लाम अंसारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 14.10.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13/14.10.2026 की रात्रि ग्राम भेलखा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा निवासी दयाराम पुत्र रामअचल अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान घर के बाहर बनी कोठरी के पास कुछ व्यक्तियों के फुसुर-फुसुर करने की आवाज सुनाई दी। वादी द्वारा बाहर निकलकर देखा गया तो दो व्यक्ति घर की कोठरी में रखी गेहूँ की बोरी चोरी कर ले जा रहे थे। वादी द्वारा शोर मचाते हुए दोनों का पीछा किया गया, जिस पर पड़ोसी मुन्नालाल पुत्र नीबर द्वारा भी मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान हीरालाल उर्फ हिरऊ पुत्र पन्नालाल एवं कुन्नन पुत्र झिनकन, निवासीगण ग्राम भेलखा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा के रूप में हुई। दोनों अभियुक्तों को चोरी किए गए गेहूँ सहित थाना छपिया लाया गया।

कार्यवाही-

थाना छपिया पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई एक प्लास्टिक की बोरी में करीब 35 किलोग्राम गेहूँ बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हीरालाल उर्फ हिरऊ पुत्र पन्नालाल, निवासी ग्राम भेलखा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
2. कुन्नन पुत्र झिनकन, निवासी ग्राम भेलखा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 377/2026, धारा 331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 35 किलोग्राम गेहूँ

गिरफ्तार कर्ता टीम-

थाना छपिया पुलिस टीम, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।